

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत प्रखण्ड स्तर पर
नियुक्ति संबंधी सूचना:-

ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड राँची के अधिसूचना संख्या 1016/अनु०/ग्रा०वि० PMAY-G-54/2016 राँची, दिनांक 01.03.2017, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-10-PMAY-G-54/2016/ग्रा०वि०-4615, राँची, दिनांक- 01.09.2017 एवं पत्रांक-10-PMAYG-54/2016/ग्रा०वि०-2397, राँची, दिनांक-12.06.2018 के आलोक में प्रखण्ड समन्वयक एवं लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर पद की नियुक्ति हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-5776, दिनांक-10.10.2012 तथा संकल्प संख्या-2020, दिनांक-09.04.2010 द्वारा निर्गत कोटिवार एवं जिलावार आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण देय होगा। स्थानीयता के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-3198, दिनांक-18.04.2016 एवं आदेश सं०-14/स्थानीयता नीति-14-01/2015/5938 राँची, दिनांक-14.07.2016 प्रभावी होगी।

पूर्वी सिंहभूम जिला के प्रखण्ड स्तर पर स्वीकृत पद एवं आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	पद का नाम	कुल रिक्त पदों संख्या	आरक्षण की स्थिति			मासिक मानदेय	उम्र सीमा	शैक्षणिक योग्यता
			अनारक्षित	अ० जा०	अ०ज० जा०			
1.	प्रखण्ड समन्वयक	02	01	-	01	18000/-	22 से 45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का कार्यानुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का कार्यानुभव।
2.	लेखापाल-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर	03	02	-	01	10000/-	18 से 30 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application(DCA) के साथ छः माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

नोट :- आरक्षण का लाभ नियमानुसार देय होगा एवं उम्र सीमा की गणना 01.01.2019 के आधार पर की जायेगी।

आवेदन की प्रक्रिया/आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :-

आवेदकों को ऑनलाईन विभागीय पोर्टल <http://applyrdd.jharkhand.gov.in> पर जाकर आवेदन करना है, जहाँ नियुक्ति संबंधित संपूर्ण सूचना उपलब्ध है। आवेदन दिनांक- 29.07.2019 से प्रारम्भ होकर दिनांक-29.08.2019 तक भरा जायेगा।


उप विकास आयुक्त,
पूर्वी सिंहभूम।